फर्द अहकाम

कार्यालय जिला कलक्टर, राजसमंद जिला राजसमंद

श्री करण शर्मा पुत्र श्री भवानी शंकर शर्मा नि. बुझड़ा पोस्टः कुंदवा तहसील देवगढ — अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार, देवगढ — प्रत्यर्थी

किस्म मुकदमा—अपील सूचना का अधिकार, 2005 **पत्रावली संख्या 31/2022**

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक 28.06.2022 पत्रावली पेश हुई । अपीलांट अनुपस्थित। अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 अंतर्गत वांछित सूचना लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार, देवगढ से प्राप्त नहीं होने से इस कार्यालय में सूचना प्राप्ति हेतु प्रेषित प्रथम अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार, देवगढ वांछित सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध कराते हुए रिपोर्ट इस न्यायालय को भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया । लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार, देवगढ से जरिये क्रमांकः सू.अधि./22/42 दिनांक 30.5.2022 से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार अर्पीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना तैयार होकर अपीलार्थी को शुल्क राशि 30/—रू. जमां कराने हेतु इस कार्यालय द्वारा जरिये पत्रांकः सूचना/2022/27 दिनांक 21.4.2022 से पत्र प्रेषित कर सूचित किया गया तथा पृष्ठाकंन प्रतिलिपि दिनांक 23.05.2022 एवं 30.05.2022 से निर्धारित शुल्क कार्यालय में जमा कराने हेतु अपीलार्थी को लिखा गया परंतु अपीलार्थी द्वारा निर्धारित शुल्क जमा नहीं कराने से वांछित सूचनाएं नहीं दी जा सकी है। लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार, देवगढ की रिपोर्ट एवं अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील का अवलोकन किया। लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार, देवगढ की रिपोर्ट अनुसार अपीलांट द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 से चाही गई सूचना का निर्धारित शुल्क कार्यालय में जमा नहीं कराने से सूचना नहीं दी जा सकी है। लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार देवगढ को निर्देशित किया जाता है कि वांछित सूचना अपीलार्थी को नियमानुसार उपलब्ध करवाई जावे। उक्त अपील इसी स्टेज पर निर्णित की जाती है। निर्णय की प्रति अपीलार्थी, लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार, देवगढ को भिजवायी जावे। **पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर नंबर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।** न्यायालय जिला कलक्टर लोक सूचना अपीलीय अधिकारी (जिला कलक्टर) राजसमंद	